

पत्रांक:-641/76याता (क)-उ0/2018

दिनांक: 15 जून, 2018

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
सहस्रधारा मार्ग, कुल्हान,
देहरादून।

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाना।

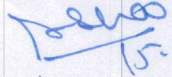
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-2566/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(3)/2018 दिनांक 14.05.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है-

S.n.	Item	Compliance Report																		
(i)	Item-9 -Road Safety Audit This direction relates to the capacity building of Road Safety Engineers. The Committee has directed the States/UTs to prepare annual calendars for imparting training to road safety engineers in Road Safety. It may please be specifically indicated whether the annual calendars for imparting training to Highway Engineers in Road Safety has been prepared by the State and the Highway Engineers are being trained in Road Safety.	उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1274 अभियन्ता कार्यरत हैं। अप्रैल 2018 तक 45 अभियन्ताओं द्वारा Indian Academy of Highway Engineers (IAHE), New Delhi एवं NHAI के माध्यम से Road Safety की Training ली गयी है। IAHE में एक वर्ष में 10-15 अभियन्ताओं के Road Safety Training में प्रतिभाग करने हेतु IAHE द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। Road Safety Training हेतु संस्थाओं की कमी के कारण अन्य संस्थाओं से उत्तराखण्ड राज्य के व्यय पर उत्तराखण्ड में Road Safety Training कराने की आवश्यकता है। जिसके लिये लगभग रू0 3.00 करोड धनराशि की आवश्यकता है। लो0नि0वि0 द्वारा CSIR, CRRRI New Delhi से Road Safety Training प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में CRRRI ने अपने पत्रांक-सीआरआरआई/क्यूएसपी/आईएलटी /01/1(बी) 175 दिनांक 25.10.2017 द्वारा लगभग 60 अभियन्ताओं को 5 दिन की Training देने हेतु रू0 17.70 लाख की मांग की गयी है। इसके अतिरिक्त परिवहन एवं आवासीय व्यवस्था को जोडते हुये कुल रू0 19.70 लाख की आवश्यकता है। धनाबंटन एवं स्वीकृति की कार्यवाही परिवहन विभाग स्तर पर गतिमान है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना का कलैण्डर निम्नवत प्रस्तावित है- <table><tr><th rowspan="2">Total Engineers In PWD UK</th><th rowspan="2">Trained Engineers upto April, 2018 in Road Safety</th><th rowspan="2">Remaining</th><th colspan="4">Action Plan</th></tr><tr><th>Year 2018</th><th>Year 2019</th><th>Year 2020</th><th>Year 2021</th></tr><tr><td>1274</td><td>45</td><td>1229</td><td>200</td><td>300</td><td>350</td><td>379</td></tr></table>	Total Engineers In PWD UK	Trained Engineers upto April, 2018 in Road Safety	Remaining	Action Plan				Year 2018	Year 2019	Year 2020	Year 2021	1274	45	1229	200	300	350	379
Total Engineers In PWD UK	Trained Engineers upto April, 2018 in Road Safety	Remaining				Action Plan														
			Year 2018	Year 2019	Year 2020	Year 2021														
1274	45	1229	200	300	350	379														

(ii) Item-20- Permanent Road Safety Cell It may please be indicated whether Road Safety (Engg.) Cell has been set up in PWD by the States/UTs.	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2017 का पारित निर्णय जो Permanent Road Safety Cell गठित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके क्रम में अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक-391/76 याता (क)-उ०/ 2017 दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न) उपरोक्त गठित सड़क सुरक्षा सेल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों हेतु Road Safety Engineering Cell से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।
---	---


 15.6.18
 (सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता स्तर-।। (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 5- श्री आर०सी०अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 6- आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर-।। (मुख्यालय)



Phone & Fax: 0135-253154/2531072

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-Mail: eicpwwd@nic.in

Website: http://www.pwd.uk.gov.in



पत्रांक:- 391 / 76याता0 (क)-उ0/2017

दिनांक: 12 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1244/प्रवर्तन/1-8/स0सु0/2015, दिनांक 20.04.2015 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभागों में समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही के दृष्टिगत सम्बन्धित सभी विभागों में सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया जाय।

उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-153/76याता (क)-उ0/2017, दिनांक 15 अप्रैल, 2017 द्वारा सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया गया था। जिसमें निम्न अधिकारियों को नामित किया गया था।

- 1- श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 2- श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 3- श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध लीड एजेन्सी, रोड सेफ्टी, कार्यालय सचिव/परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून। श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सेल के दायित्वों का निर्वाहन करते हुये लीड एजेन्सी के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे।
- 4- श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 5- श्री आई0डी0भट्ट, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

श्री के0पी0 उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून का स्थानान्तरण अन्यत्र होने के फलस्वरूप सड़क सुरक्षा सेल का पुनर्गठन करते हुये निम्नवत् अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

- 1- श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 2- श्री आर0सी0 अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 3- श्री राजेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, 10वां वृत्त, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 4- श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध लीड एजेन्सी, रोड सेफ्टी, कार्यालय सचिव/परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून। श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सेल के दायित्वों का निर्वाहन करते हुये लीड एजेन्सी के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे।
- 5- श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 6- श्री आई0डी0भट्ट, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

अधीक्षण अभियन्ता, 10 वृत्त, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मा0 समिति एवं सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-4557/प्रवर्तन/1-8(3)/स0सु0/2017, दिनांक 10.07.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त वी0आर0ओ0 एवं एन0एच0ए0आई0 स्वामित्व वाले मार्गों में की जा रही कार्यवाही/प्रगति सम्बन्धित वांछित सूचनाओं को संकलित कर नोडल अधिकारी (रोड सेफटी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को उपलब्ध करायेंगे।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मा0 समिति एवं सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड शासन तथा तत्संबन्धित अन्य प्राप्त पत्रों के क्रम में वांछित समस्त सूचनाओं को संकलित कर सचिव/आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करेंगे एवं विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाले मार्गों में की जा रही कार्यवाही/प्रगति की नियमित रूप से Monitoring करेंगे एवं प्रगति सम्बन्धित संकलित सूचना को अधोहस्ताक्षरी तथा प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को अवगत कराते रहेंगे।

नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही/दिशा निर्देशन हेतु श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजमार्ग), लो0नि0वि0, देहरादून के अधीन कार्य करेंगे। श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपेक्षित सहयोग के साथ-साथ भारत सरकार/प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठको में भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रतिभाग करेंगे।

(एच0के0उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0मा0/UDRP/UEAP/USRIP।
- 6- श्री आर0सी0 अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 7- श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।
- 8- श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 9- श्री आई0डी0भट्ट, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 10- प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष